UPAL010070182015

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–12, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी–सिद्धार्थ सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा। (JO Code–UP06318)

सत्र परीक्षण संख्या–628/2015

(CNR NO UPAL010070182015)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सन्नी व अन्य

धारा 498ए, 304बी, 323 भा.द.स.
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना देहलीगेट, जिला अलीगढ़।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 12–ख अर्न्तगत धारा 319 द प्र सं</u>

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 12ख अर्न्तगत धारा 319 द0 प्र0 सं0 द्वारा वादी/अभियोजन पर आदेश हेतु नियत है। उक्त प्रार्थना पत्र वादी के विद्वान अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 12 ख धारा 319 द प्र सं मय शपथ पत्र 13ख प्रस्तुत करते हुए अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि वादी ने अपनी पुत्री वीनेश की शादी घटना से करीब 5 साल पहले सन्नी पुत्र जय प्रकाश के साथ हिन्दू रीति रिवाज के की थी घटना के समय वादी की बेटी पर दो बच्चे थे वीनेश को ससुरालीजन दहेज को लेकर परेशान करते थे मारपीट करते थे दिनांक 7–3–14 की रात्रि करीब 12 बजे अभियुक्त सन्नी ने फोन किया कि आपकी बेटी खतम हो गयी है जिस पर हमने मंजू को फोन किया तो उसने कहा कि वीनेश को ऊपर पहुॅचा दिया है। दिनांक 8–3–14 को सुबह 5बजे देखा तो हमारी लड़की मृत अवस्था में मिली उसके शरीर पर चोटों के निशान और चोटों से खून के निशान थे। मेरी बेटी की हत्या की गई है जो संजीव कुमार पुत्र. जय प्रकाश, छोटू पुत्र जय प्रकाश, राजेश पुत्र जय प्रकाश ने परिवार के साथ मिलकर की है। वीनेश की हत्या मारपीट करके व जहर देकर की गई है जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर है। विवेचक ने गलत तरीके से मंजू, संजीव व राकेश के नाम निकाल दिये थे जो मृतका के जेठ व ननद हैं तथा एक ही परिवार में सयुक्त रूप से साथ साथ रहते हैं। सभी एक भेंस व अंगूठी की मांग करते थे। वादी का बयान न्यायालय में हो चुका है तथा वादी ने अपने बयानों में उपरोक्त तीनों मुल्जिमानों को घटना में सम्मिलत होना बताया है इसलिये प्रार्थना की गई कि मंजू, संजीव व राजेश को विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा अनावश्यक दवाब बनाने एवं मुकदमे के निस्तारण में विलम्ब करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मंजू अभियुक्त सन्नी की विवाहित बहन है जो अपनी ससुराल में रहती है तथा संजीव व राकेश अभियुक्त सन्नी के बड़े भाई हैं जो अपना कारोबार भी अलग करते हैं तथा अभियुक्त से अलग निवास करते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त लोगों की कोई भूमिका नहीं है मात्र अभियुक्त के परिवारीजन व नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उन्हें फंसाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा उक्त लोगों की कोई भूमिका न पाये जाने पर उनके नाम निकाले गये हैं जो सही हैं तथा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी सूबेदार सिंह ने सन्नी, मंजू, संजीव कुमार, छोटू व राजेश के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की प्रथम सूचना

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2022.08.06 14:29:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिपोर्ट थाना देहलीगेट पर दर्ज करायी जिसमें विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा मंजू, संजीव कुमार व राजेश की नामजदगी को गलत पाते हुए अभियुक्त सन्नी व सुनील उर्फ छोटे के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 323, 498ए, 304बी भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रेषित किया जिस पर यह विचारण चल रहा है। दौरान विचारण वादी मुकदमा पी0 डब्लू0 1 सूबेदार सिंह व पी0 ब्लू0 2 पूनम देवी के बयान न्यायालय में अंकित हुए हैं। धारा 319 द प्र सं एक विशिष्ट प्राविधान है। विधि व्यवस्था **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2009 (65) ए सी सी 768 एस सी** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 319 द प्र सं के अर्न्तगत अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण हेतु तलब करने की शक्ति विवेकीय शक्ति है तथा यह न्यायिक विवेक न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319 द प्र सं में कार्यवाही अग्रसारित करनी है अथवा नहीं। विधि व्यवस्था **सर्वजीत सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब (2010)–2 एस सी सी कि0 141** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 319 द प्र सं के अर्न्तगत प्रदत्त विवेकीय शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को यह संतुष्ट हो जाना चाहिए कि धारा 319 द प्र सं के अर्न्तगत तलब किये गये अभियुक्त की दोषसिद्धि की सम्भावना है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 319 द प्र सं के अर्न्तगत अभियुक्तगण को तभी तलब किया जाएगा जब उसकी दोषसिद्धि की सम्भावना प्रबल हो। धारा 319 द प्र सं की शक्ति का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता।

साक्षी पी0 डब्लू0 1 वादी मुकदमा सूबेदार सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मेरी बेटी को शादी के बाद करीब चार माह तक सही रखा था उसके बाद ससुरालीजन पति सन्नी, जेठ संजीव, राजेश व छोटू, ननद मंजू दहेज के लिये तंग व परेशान करते थे और अतिरिक्त दहेज में एक भेंस व एक अंगूठी की मांग करते थे। अपनी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि **सन्नी चार भाई हैं जिनके नाम संजीव, राजेश, छोटू, सन्नी हैं। सबसे बड़ा संजीव है उससे छोटा राजेश और उससे छोटा छोटू और सबसे छोटा मेरी बेटी का पति सन्नी है। सन्नी के भाई संजीव, राजेश व छोटू की शादी हो गयी है। यह तीनों शादी शुदा बाल बच्चेदार हैं।** आगे प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **मंजू की शादी खैर के पास किसी गॉव में हुई है। उस गॉव का नाम नहीं मालूम। यदि मेरी रिपोर्ट में यह बात कि मुल्जिमान भैंस व अंगूठी मांगते थे, नहीं लिखी है तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यदि मेरी रिपोर्ट में अतिरिक्त दहेजमांगने वाली बात और मारपीट करने वाली बात मुझको बताना नहीं लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।**

पी0 डब्लू0 2 पूनम देवी जो मृतका की सगी छोटी बहन है, ने अपने बयानों में कहा है कि मेरी बहन के ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे संजीव राजेश छोटू सन्नी और मंजू मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे अपनी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि **संजीव राजेश व छोटू सभी शादी शुदा बाल बच्चेदार हैं, संजीव राजेश व छोटू दूर रहते थे इसलिये मैं उनके घर नहीं गयी। सनी की बहन मंजू की शादी कहॉ हुई मुझे नहीं पता। जब मेरी बहन वीनेश खतम हो गयी थी तो मैं वहां नहीं गयी थी उस समय मैं मायके में ही थी मेरी बहन वीनेश की मरने की वजह मुझे घर के लोगों ने लौट कर बतायी थी। मुझे यह बताया था कि मेरी बहन वीनेश को तेजाब पिलाया गया था।**

इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पी0 डब्लू0 1 के अनुसार मंजू का विवाह खैर के पास किसी गॉव में हुआ है और वह वहीं रहती है जबकि पी0 डब्लू0 2के अनुसार संजीव व राजेश का अभियुक्त सनी से कारोबार अलग है और वह अभियुक्त सनी से अलग किसी अन्यत्र स्थान पर निवास करते हैं ऐसे में उपरोक्त साक्षीगण द्वारा मंजू, संजीव व राजेश द्वारा मृतका वीनेश से दहेज की मांग करने एवं उसके साथ मारपीट किये जाने के कथन मात्र उक्त लोगों का अभियुक्त सन्नी के परिवारीजन होने के किये जा रहे हैं। पी0 डब्लू0 1 वादी मुकदमा सूबेदार की प्रति परीक्षा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपनी तहरीर में दहेज में अंगूठी व भैंस मांगने के तथ्यों व अन्य दहेज सम्बन्धी प्रताड़ना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध मे वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है मात्र यही कहता रहा है कि तहरीर में उक्त बातें नहीं लिखी हैं तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता।

पी0 डब्लू0 1 व पी0 डब्लू0 2 के सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने मंजू, संजीव व राजेश द्वारा मृतका के विरूद्ध कोई विशिष्ट कार्य करने का कथन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाएं **कंसराज बनाम पंजाब राज्य व अन्य ए आई आर 2000 एस सी 2324, गीता मल्होत्रा तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ए आई आर 2013 एस सी 181, कहकशां कौसर उर्फ सोनम तथा अन्य बनाम बिहार राज्य तथा अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 195/22 आदेश दिनांक 8–2–2022 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जब तक धारा 498ए भा0द0सं0के मुकदमे में पति के नजदीकी रिश्तेदारों की स्पष्ट भूमिका साबित न हो तब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए मात्र सरसरी तौर पर नाम लिखा देने से ही उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में ऐसे आरोप लगाये जाते हैं। स्पष्टतः जो पति से भिन्न सम्बन्धी कहे जाते हैं, उनकी संलिप्तता को युक्त युक्ति संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। मात्र अनुमान एवं घटना को बढ़ा चढ़ा कर बताये जाने के आधार पर ऐसे सम्बन्धियों को दहेज हत्या के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो गयी है कि दहेज हत्या के मामले में सभी ससुरालीजन पति उसके नातेदारों को संलिप्त कर दिया जाता है। यदि इसे हतोत्साहित नहीं किया जाएगा तो वह वास्तविक अपराधियों के विरूद्ध अभियोजन के मामले को प्रभावित करने वाला होगा। अत्यधिक लोगों को दोषसिद्ध कराने के दुरूद्देश्यवश प्रायः यह देखा गया है कि मृतका के माता पिता द्वारा ससुराल के अन्य सम्बन्धियों को संलिप्त करने का प्रयास किया जाता है जो परिणामतः अभियोजन के मामले को वास्तविक अपराधियों के विरूद्ध कमजोर करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1998 सी0आर0एल0जे0 4019** के पैरा–9 में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा मृतका को पति के अन्य रिश्तेदारों या नजदीकी परिवारीजन द्वारा प्रताड़ित करने का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है और न ही इस आशय का कोई साक्ष्य है कि आरोपी सास द्वारा मृतका के अतिरिक्त दहेज मांगने हेतु अपने पुत्र को प्रोत्साहित किया जाता रहा है और मिलने वाले दहेज से अभियुक्ता प्रत्यक्षतः लाभान्वित होने के स्थिति में नहीं है तो उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **2015 (1) जे0सी0आर0सी0 337 शेर सिंह उर्फ प्रताप बनाम स्टेट आफ् हरियाणा** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि ''आजकल यह चलन बन गया है कि दहेज हत्या के अपराध में पति के साथ उसके समस्त रिश्तेदारो को भी आरोपित किया जाता है। यह न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि प्रस्तुत साक्ष्य के सूक्ष्म विश्लेषण से प्रत्येक आरोपी की संलिप्तता का पृथक पृथक आकंलन करके ही कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाये।

उपरोक्त पारित विधि व्यवस्था के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य के परीक्षित दोनों साक्षीगण ने मंजू, संजीव व राजेश द्वारा मृतका से दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में सामान्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मृतका को प्रताड़ित करने व दहेज मांगने के सम्बन्ध में किसी विशेष तथ्य का उल्लेख उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में नहीं है। साक्षियों के साक्ष्य में इस आशय का भी कोई उल्लेख नहीं है कि मंजू, संजीव व राजेश दहेज मांगने के लिए मुख्य अभियुक्त सन्नी को उत्साहित करते थे। अतः तथ्य के दोनों साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 वादी मुकदमा सूबेदार सिंह, पी0 डब्लू0 2 पूनम देवी की साक्ष्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत इस स्तर पर मंजूदेवी, संजीव व राजेश की उक्त प्रकरण में संलिप्तता प्रकट नहीं होती है परिणामस्वरूप उक्त मंजूदेवी, संजीव व राजेश को धारा 319 द0 प्र0. सं0 में विचारण हेतु तलब किये जाने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र वादी/अभियोजन 12ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अभियोजन 12–ख अर्न्तगत धारा 319 द प्र सं खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 16–8–2022 को पेश हो।

दिनांकः 06–08–2022

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–12, अलीगढ़।